(1)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

T 469779

28974 9/3/16 1000 विकास इकरारनामा

Serial No. 3416

Deed No. 3352

Govt. of Bihar

Sub Registry Office , Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **11/03/2016** by **Jai Prakash**
A Stamp Duty of Rs. **144500**/- and other Fees of Rs. **20400**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **3352** in Book No. **1**, Volume No. **70** on pages from **121** to **136** and has been preserved in total **16** pages in C.D. No. **11** / Year **2016**

Date: 11/03/2016

Signature with Date
(**Dhananjay Kumar Rao**)
Registering Officer, **Danapur**

विकास एकरारनामा

11/3/2016

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 11/03/2016 ई० को निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है।

(1) श्री जय प्रकाश पिता का नाम श्री रामेश्वर प्रसाद।

(2) श्री रामेश्वर प्रसाद ~~पिता का नाम स्व० रामधनी साव~~।

दोनो का निवास स्थान– कैन्ट रोड गायीखाना, थाना एवं पत्रालय– खगौल, जिला– पटना, भारतीय नागरिक [illegible] हे आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। जो श[illegible]ी प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने कि स्थिति को छोड़कर [illegible]के उत्तराधिकारी, नि[illegible]क, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी सम्मिलित [illegible] जिन्हें इसमें प्रथम [illegible] कहा गया है।



अवर निबंधन कार्यालय 1 दानापुर (पटना)

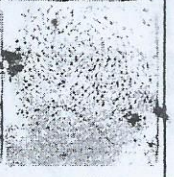
अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

For, Mundeshwari Builders & Developers (P) Ltd.
Rameshwar Prasad
11-3-16
Director

Jay Prakash
11/3/16

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 3507 | Reg. Year 2016 | Serial Number 3416 | Deed Number 3352

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Mukul Chand Singh						
Sig.	11.03.16						
Executant	Jai Prakash	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.	Jay Prakash 11/3/16						
Presented By	Jai Prakash						
Sig.	Jay Prakash 11/3/16						
Executant	Rameshwar Prasad						
Sig.	Rameshwar Prasad 11-3-16						
Identified By	Manish Singh Dangi						
Sig.	11/3/16						

SCORE Ver.4.0 | Powered by InfoSystem and Solutions,Patna | Biometric Captured By 2802sop011

और

मुण्डेश्वरी बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा0 लि0, मेन रोड बुद्वा कॉलोनी पटना, द्वारा अधिकृत निदेशक, श्री मुकुल चन्द सिंह पिता का नाम श्री बबन जी सिंह, निवास स्थान– फ्लैट नं0– 304, बमहौर पैलेस मेन रोड बुद्वा कॉलोनी, पत्रालय– जी0 पी0 ओ0, थाना– बुद्वा कॉलोनी जिला – पटना, भारतीय नागरिक जिन्हे आगे डेवलेपर/ भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें इनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रुप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ। PAN- AACCM6167D

यह कि सम्वंधित जमीन मालिक नं0– 1 का खरीदगी सम्पत्ति है वो जमीन मालीक नं0– 2 कि पत्नी श्रीमती रामा देवी के नाम से खरीदगी सम्पत्ति है/जो जमीन मौजा– **मुस्तफापुर**, परगना– फुलवारी, थाना– खगौल, सर्वे थाना एवं सब रजिस्ट्री – दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला– पटना, जिसका थाना नं0 **36** (छत्तीस), तौजी संख्या– **5276**, खाता संख्या– **234 (दो सौ चौतीस)** सर्वे प्लॉट संख्या– **264 (दो सौ चौसठ)** एराजी **17 डीसमल** पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल–कब्जे में है जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख कि अनुसूची– 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है। जमीन मालिक नं0– 1 श्री जय प्रकाश का नाम से अंचल रसिद दानापुर के जमाबन्दी संख्या– 1394 पर एवं जमीन मालीक नं0– 2 के पत्नी श्रीमती रामा देवी का नाम से अंचल रसीद दानापुर के जमाबन्दी संख्या– 1393 पर दर्ज चला आता है।

यह कि अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति जमीन मालिक नं0– 1 खुद वो जमीन मालीक नं0– 2 के पत्नी ने वजरिये वशिका विकय पत्र द्वारा दिनांकः– 19/08/2003 ई0 को खरीद किये है। जिसे नविस्ते श्री प्रमुद रंजन मिश्र पिता का नाम स्व0 नन्द किशोर मिश्र निवास स्थान– मुस्तफापुर, थाना एवं पत्रालय– खगौल, जिला– पटना से खरीद किये है। जिसमे मूल जमीन मालीक नं0– 1 श्री जय प्रकाश ने मवाजी 10 डीसमल खरीद किये है। एवं मूल जमीन मालीक नं0– 2 श्री रामेश्वर प्रसाद के पत्नी श्रीमती रामा देवी ने मवाजी 7 डीसमल खरीद किये है। जो दोनो किता निवंधन कार्यालय दानापुर मे निवंधित हुई है। वो तिथि खरीदारी के बाद जमीन मालीक नं0– 2 के पत्नी श्रीमती रामा देवी अपना जीवन काल तक काबिज दखील रहकर अपना पुरा परिवार एवं सम्पत्ति को छोड़कर स्वर्गवास कर गई वो तिथि खरीदारी के दिन से जमीन मालीक नं0– 1 एवं जमीन नं0– 2 अपनी पत्नी श्रीमती रामा देवी के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त अनुसुचि संख्या– 1 में वर्णित सम्पत्ति पर स्वतंत्र रुप से बहैसियत सम्पत्ति के सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपना उपयोग वो उपभोग

For Mundeshwary Builders & Developers (P) Ltd.
Director

अवर निबंधन कार्यालय

में लाते हैं। इस प्रकार जमीन मालिक प्रथम पक्ष को उपर्युक्त जमीन (जिसका वितरण चौहद्दी अनुसूची– 1 में दर्शाया गया है।) पर पूर्ण रूप से दखल कब्जा हासिल है। इस तरह लेख्य सम्पत्ति का अन्तरण एवं किसी भी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची– 1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण–भार, सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक–साफ है वो आज तक जमीन मालिक ने अनुसूची– 1 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिये हैं और ना गिरवी रखे हैं और ना आज तक उपरोक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज किन्हीं अन्य व्यक्ति एवं संस्थानों के पक्ष में इस विकास एकरारनामा के अलावा नहीं लिखें हैं और न कियें हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी ।

Rameshwar Prasad 11-3-16

Jay Prakash 11/3/16

(1) यह कि वर्णित प्रथम पक्ष जो कि भूखण्ड स्वामिनी/स्वामी है तथा वर्णित सम्पत्ति (भूखण्ड) पर भूखण्ड स्वामीगण का दखल कब्जा शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है भूखण्ड हर प्रकार के स्वत्वदोष वो ऋण भार से मुक्त तथा नुक्स हकियत वो वारदैन से पाक साफ है।

(2) यह भूखण्ड स्वामीगण आन्तरिक इच्छा से उपर वर्णित भूखण्ड का रचनात्मक विकास के लिए साथ–साथ उक्त भूखण्ड पर एक बहुमंजिला इमारत (आवासीय) आधुनिक तकनीक से फलैटों का निर्माण, करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट (एकरारनामा) अभय पक्षों के बीच निष्पादन आपसी सहमती एवं निर्धारित शर्तो पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता की हालत मे अपना अपना नफा नुकसान सोच– समझकर बिना किसी के जोर दबाव के किया जाता है।

For Mundeshwary Builders & Developers (P) Ltd. 16
Director

(3) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष इस जमीन पर उपर्युक्त लिए गए निर्णय के अनुसार फ्लैट का निर्माण करने के लिए सहमत है। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्त्ता पूर्णतया वहन करेंगे।

(4) यह कि एकरारनामा के होते ही विकासकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) अपने हस्ताक्षर के माध्यम से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्शा बनवाएगें एवं विकासक अपने हस्ताक्षर से नक्शा पी0 एम0 सी0/डी0 एन0 पी0 नी0/ सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत करवायेगे इसमे प्रथम पक्ष को कोई उजूर वो एतराज नही है वो नही होगा।

(5) यह कि भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि को उपर्युक्त नक्शा का पी0 एम0 सी0/ एन0 पी0 नी0/ सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेने के लिए विकासकर्त्ता (द्वितिय पक्ष) के हस्ताक्षर से जमा किया जाएगा, किन्तु प्रथम

अंचल निबंधन कार्यालय

पक्ष की सहमति भी ली जायेगी, इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नही होगा, परन्तु इसमें जो खर्च होगा यानि सभी खर्च विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

(6) यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल निर्मित क्षेत्रफल का **50 प्रतिशत** (पचास प्रतिशत) भूखण्ड स्वामीगण प्रथम पक्ष को पूर्ण रूप से विकसीत कर हर सुविधा के साथ सौपेंगे तथा शेष हिस्सा **50 प्रतिशत** (पचास प्रतिशत) क्षेत्रफल विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष का होगा। दोनो पक्षो के हिस्से की गुणतर्त्ता किसी भी मामले में अलग नही होगा बल्की एक समान गुणवत्ता रहेगा।

(7) यह कि भूखण्ड स्वामिनी/स्वामि का हिस्सा एवं विकास कर्त्ता का हिस्सा Architect द्वारा बनाये जाने के बाद एवं सम्बधित ऑथोरिटी द्वारा नक्शा पास करने के बाद भूखण्ड स्वामीगण को भवन/ब्लॉक में दिया जायेगा। हिस्से में कम पड़ जाने के स्थिति मे दुसरे ब्लॉक मे भूखण्ड स्वामीगण को हिस्सा मिलेगा इससे दोनो पक्ष सहमत होगे।

(8) यह कि विकासकर्त्ता पी0 एम0 सी0/डी0 एन0 पी0 न0/सक्षम प्राधिकार से नक्शा स्वीकृत होने के दिन से **2 वर्ष** (दो वर्ष) के अन्दर निर्णाण कार्य पूरा करेगे इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के कारण पर वैसी कोई भी स्थिती जिसके लिये विकासक जवादेही नही होगी एवं **छः माह** का समय ग्रेस अवधि दिया जायेगा।

(9) यह कि द्वितिय पक्ष को अपने हिस्सा का **50 प्रतिशत** तथा पार्किंग एरिया का **50 प्रतिशत** बिकी एवं एकरारनामा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(10) यह कि विकासकर्त्ता पहले भूखण्ड स्वामीगण के हिस्से का **50 प्रतिशत** निर्माण पूर्ण सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर निर्माण अवधि के अन्दर सौप देगे। निर्माण कार्य दोनो पक्षों का एक साथ शुरू होगा एवं एक साथ ही पूर्ण होगा।

(11) यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत अभय पक्ष एक दुसरे को यह भी विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्नित क्षेत्रो मे दोनो पक्षों के प्रस्तावित सुविधाओ के साथ छत, सीढ़ी, लिफट, बालकोनी, एमिनीटिज, फलैटो का उपयोग एवं उपभोग उनके कमशः आवंटित हिस्सो पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होगे।

(12) यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितिय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी प्रकार के कानुनी प्रकिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा, जिससे की प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सकें। निर्माण कार्य मे लागत पुंजी का कुल समावेश द्वितिय पक्ष स्वयं करेगें पुंजी मुहैया हेतु

Ramashwar Prasad 11-3-16

Tej Prakash 11/3/16

For Mundeshwary Builders & Developers (P) Ltd. 11.03.16 Director

अवर निबंधन कार्यालय (पटना)

Kanta Anand Bharti
S/o Sri Ramashwar Anand
Gautham Khagaul
Patna 11.03.2016

द्वितिय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने **50 प्रतिशत** क्षेत्र पर ही द्वितिय पक्ष करेगे।

(13) यह कि सरकारी नितियों के कारण मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रूक जाए तब वैसी हालत मे विकासकर्त्ता को दोष नही होगा। इस हालत मे विकासकर्त्ता द्वारा कार्य करने की अवधी जितना दिन कार्य बन्द रहेगा, उतना दिन के लिए अवधि बढ़ा दिया जायेगा। किन्तु द्वितिय पक्ष के द्वारा किसी तरह की गलत नितियों से कार्य बन्द होगा तो वह प्रथम पक्ष का दोष नही होगा तब अवधि तय समय पर ही रहेगा।

(14) यह कि संबंधित विशेष जैसे रचनाकार, अभियंता सर्वेयर, ठेकेदार आदि की नियुक्ति विकासकर्त्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(15) यह कि बहुमंजिला इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेन्ट, औजार, विधुत कनेक्शन, लोहा आदि अन्य संबंधित कार्या हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन विकासकर्त्ता कर सकते है।

(16) यह कि द्वितिय पक्ष अपने **50 प्रतिशत** हिस्से का एग्रीमेन्ट निर्विवाद बिक्रय पत्र आवंटन किरायानामा आदि अभिलेख हेतु वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखो का निष्पादन करेंगे।

(17) यह कि भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा, द्वितिय पक्ष को कार्यालय में उपयोग हेतू फोटो प्रति दिया जायेगा, जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

(18) यह कि उभय पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रो का स्थानांतरण प्रत्येक केता को सरकारी खर्च, स्टाम्प ड्युटी खर्च एवं कोर्ट खर्च एवं रजिस्ट्रशन खर्च का वहन खरीदार खुद करेंगे।

(19) यह कि बहुमंजिला इमारत में विधुत कनेक्शन की जमानत राशि प्रथम पक्ष का द्वितिय पक्ष द्वारा जमा होगा। हर फलैट में बिजली कनेक्शन हर फलैट मे एक टेलिफोन प्वांइट और एक टेलिविजन प्वांइट होगा उभय पक्षों के हर फलैट में जेनरेटर का कनेक्सन द्वितिय पक्ष द्वारा मुहैया कराया जायेगा।

(20) यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न होता है तो भू–स्वामी एवं विकासकर्त्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट 1950 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

Ramashraya Prasad 11-2-16

Jay Prakash 11/2/16

For Mundeshwary Builders & Developers (P) Ltd. 11.02.16 Director

अवर निबंधन कार्यालय 5 दानापुर (पटना)

(21) यह कि प्रथम पक्ष भुक्तानी इस विकास एकरारनामा के द्वारा इस बात के लिए भी द्वितिय पक्ष विकासक को अधिकृत करते है कि द्वितिय पक्ष अगर अगल बगल या इससे सटे भुखण्ड को मिला कर अपार्टमेन्ट/फ्लैट बनाने तथा विकास करने के लिए स्वतंत्र होगे। इसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही है वो नही होगी। किन्तु प्रथम पक्ष **50 प्रतिशत** के हिस्से मे किसी तरह की कमी नही होगी।

(22) यह कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्त्ता और प्रथम पक्ष के द्वारा एक एसोसिएशन सभी सदस्यों को बनाया जायेगा। इस एपार्टमेन्ट मे रहने वाले सभी सदस्यो इस एसोसिएशन के सदस्य होगे और सभी सदस्य मिलकर एपार्टमेन्ट का रख रखाव एवं देखभाल करेगे फ्लैट के आजीवन रख रखाव के लिए तय दोनो पक्षो द्वारा एकमुश्त राशि जो प्रत्येक फ्लैट के लिए निर्धारित होगा इस राशि को प्रथम पक्ष (भूखण्ड स्वामीगण) के द्वारा अपने हिस्से के फलैटों को भी डेभलर्पस को देना तय हुआ। इसमे प्रथम पक्ष सहमत हुए।

(23) यह कि सभी न्यायिक मामलो का निपटारा पटना अधिनस्थ न्यायालय से किया जायेगा।

(24) यह कि विकासकर्त्ता द्वितिय पक्ष अपने शेयर का निबंधन अपार्टमेन्ट एक्ट के तहत कर सकते है।

(24) यह कि भू–स्वामी अपने हिस्से की सम्पत्ति को देखरेख वो निरक्षण कर सकते है निर्माण कार्य वगैरह को इसमे विकासक/ डेवलपर को कोई आपत्ति नही होगी।

(25) यह कि अनुसुची संख्या 1 के वर्णित सम्पत्ति मे जो भी इमारत बनेगी उसमे सभी जगह 50 प्रतिशत जमीन मालीक कि होगी वो 50 प्रतिशत विकासकर्त्ता कि होगी।

(26) यह कि सरकार द्वारा कोई कर (Tax), यदी सेवा कर, विकी कर, नगर निकाय सरकार द्वारा लगया गया कोई कर फलैटों पर निर्धारित होता है या देय होता है तो दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से के फलैटो पर सरकार को कर (Tax) देगे, इसमे दोनों पक्ष सहमत है।

Ramashwar Rajak
11-2-16

Jay Prakash
11/2/16

For Mundeshwary Builders & Developers (P) Ltd.
11.02.16
Director

अवर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

(7)

अनुसुची नं0–1

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा– **मुस्तफापुर**, परगना– फुलवारी, थाना– खगौल, सब रजिस्ट्री – दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला – पटना, जिसका थाना नं0 **36 (छत्तीस)**, तौजी संख्या– **5276** खाता संख्या– **234 (दो सौ चौतीस)** सर्वे प्लॉट संख्या– **264 (दो सौ चौसठ)** एराजी 17 डीसमल।

चौहद्दी

उत्तर – सहाय सड़क।
दक्षिण – दसई चौधरी।
पुरब – रौदी यादव।
पश्चिम – सहायक सड़क।

Rameswar Prasad 11-3-16

Jay Prakash 11/3/16

जमीन का मुल्य मो0: 72,25,000/– रूपया (बहत्तर लाख पचीस हजार रूपया) मात्र हैं ।

अनुसुची नं0–2

संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण ।

ढांचा– सक्षम विभाग द्वारा स्वीकृत आर0सी0सी0 फेम ढांचा एवं भूकम्प अवरोधी ।

सिविल कार्य – स्टैन्डर्ड (मानक) कोटी का सिमेंट बालू एवं मसाला।

परिसज्जनः– सभी दीवाल तथा भीतरी सतह पर सफेद सीमेंट पुट्टी।

दरवाजे –दरवाजे का ढांचा स्टैन्डर्ड (मानक) सामग्री का तथा मुख्य दरवाजे पर लकड़ी / स्टैन्डर्ड (मानक) सामग्री का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला वाटर प्रुफ प्लाई बोड स्टैन्डर्ड (मानक) कोटि का होगा और उसपर दो तह सिंथेटिक इनेमल पेंट होगा पेंट की गुणवत्ता साधारण से नीचे का नहीं होगा ।

खिड़कियॉ–आल्युमीनियम या यू0पी0भी0सी0 के फेम में सीसा के साथ ।

फर्श– विट्रीफाईड टाईल्स ।
शौचालय– शौचालय में गर्म पानी का नल उच्च स्तर का होगा, टाईल्स 7 फीट की उॅचाई तक रंगीन लस्टर एवं उसी रंग का जमीन सभी शौचालय का साजोसामान आई एस आई मार्का का उपयोग होगा । किचेन का जमीन विट्रीफाईड का होगा ।

For, Mundeshwary Builders & Developers (P) Ltd. 3.16 Director

अवर निबंधन कार्यालय (पटना)

(8)

रसोईघर– हरे संगमरमर का कार्ण प्लेटफार्म तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी प्लेटफार्म से 2 फीट उंचा रंगीन ग्लेज्ड टाईल्स ।

बिजली व्यवस्था– मानक बिजली सामग्री के साथ कनसील्ड पी0 भी0 सी0 कण्डूईट वायरिंक शयन कक्ष मे ए0 सी0 प्वाइंट। उपरोक्त स्पेसीफिकेशन मे प्रमोटर/आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण मे कुछ संभव है।

यह कि यह एकरारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोच–समझकर निम्नलिखित गवाहों समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे ।

दिनांक– 11/03/15

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

For. Mundeshwary Builders & Developers (P) Ltd.

11. Director

(श्री मुकुल चन्द सिंह)
अधिकृत निदेशक
मुण्डेश्वरी विल्डर्स एण्ड
डेभलपर्स प्रा0 लि0

Jay Prakash
11/3/16

(1) (श्री जय प्रकाश)

(2) (श्री रामेश्वर प्रसाद)
Rameshwar Prasad
11-3-16

Online Bank ...
11/3/16
Signature

अवर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

Endorsement of Certificate of Admissibility

(9)

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 144500/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 163900/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		

TOTAL- 20000

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 400

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20400

Registering Officer
Danapur

Date: 11/03/2016

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Friday, 11th March 2016 by Jai Prakash Rameshwar Prasad by profession Others. Status - Executant

Jay Prakash
11/3/16

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:11/03/2016**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Manish Singh Dangi ' age '29' Sex 'M', 'Ramashish Singh Dangi ', resident of 'Sarari Shahpur Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page() pages of the instrument.

अवर निबंधक दानापुर (पटना) दानापुर (पटना)

Registering Officer
Danapur

Date : 11/03/2016

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 70 on pages on 121 -136 , for the year 2016 and stored in CD volume No. CD-11 year 2016 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 11/03/2016

oken No. : 3507 Year : 2016 S.No. : 3416 SCORE Ver.4.0 Deed No . : 3352

SCANNED

(20)

MUNDESHWARI BUILDERS & DEVLOPERS P.V.T Patna

143500 143500

20,000 20,000

163500/-

For, Mundeshwari Builders & Developers (P) Ltd.

Director

10/3/16

FOR USE OF THE BANK

S.B.I. Danapur Br. (01254)
AWADHESH KR. SINGH
ID No.- 1140612
CASH
CHEQUE
UNTH
CHECKED
CNO.

163500
400
163900

(11)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

IDENTITY CARD

भारत निर्वाचन आयोग

पहचान पत्र

FSB6820682



Elector's Name	:Manish Singh Dangi
निर्वाचक का नाम	:मनिष सिंह दाँगी
Father's Name	: Ramashish Singh Dangi
पिता का नाम	: रामअशीष सिंह दाँगी
Sex / लिंग	: Male / पुरुष
Age	: 19 Years as on 1.1.2005
आयु	: १९ वर्ष १.१.२००५ को

Address : 29,Sarari,
Town/Vill - Sarari,
Anchal - Danapur,
Distt - Patna - 801105

पता : २९,सरारी,
शहर/गाँव - सरारी,
अंचल - दानापुर,
जिला - पटना - ८०११०५

Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
191,DANAPUR Constituency
१९१, दानापुर निर्वाचन क्षेत्र
के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति

FSB6820682

Place : Danapur Date : 11/09/2005

स्थान : दानापुर दिनांक : ११/०९/२००५

This Card may be used as an Identity Card under different Government Schemes.
इस पत्र का विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

48-419

Sch. XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

बि०रा०मु०, पटना।

V फरद मालकी / फरद रैयती।
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी
वो सकुनत। नम्बर।

X
107 13\4

दनाबुर	मुस्तफाबुर उर्फ	श्रीजमप्रकाश

058999

अराजी लगहली — अराजी भावली पेता तफसील हिसाब लगान भावली।

०.१० डीह	श्रीरमेश्वर प्रसाद सा० गाड़ीखाना सा०

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा सिवखाना। खगौल

मांग बाबत २०१६-२०१७		सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल	
माल— गुजारी	(नकदी)	५-०					५-०	खाता
	(भावली)	५-०					५-०	२३४
सेस	...	५-०					५-०	लोट
*सुद	...	५-०					५-०	२६४
मुतफरकात	...	५-०						
गीजान		२५-०					२५-०	

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत २०१६-२०१७		बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
माल— गुजारी	(नकदी)					५-०	
	(भावली)					५-०	
सेस	...					५-०	
*सुद	...					५-०	
मुतफरकात	...					५-०	
गीजान अदायकारी						२५-०	२५-०

(1) गीजान कुल (लफ्जों में) --- पच्चीस रुपया मात्र
(2) नाम देहिन्दा --- सेवक
(3) कुल बकाया --- ०

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

१५.१०.१६

*खारा माल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1—2011

(13)

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

नाम जय प्रकाश पिता / पति श्री रामेश्वर प्रसाद

ग्राम गाड़ीखाना

थाना खगौल जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०	
दुस्तफापुर 36		234	264	0	10	उत्तमार्ध

ओ अ० दानापुर

राजस्व रसीद जन्म 1334 मौजा- दुस्तफापुर थाना नं० 36 में आवेदक जय नाम पिता- स्व० रामेश्वर प्रसाद के नाम खाता नं० 234, खेसरा नं० 264 कुल रकबा 10 डि० भूमि का लगान पर्ष 2016-17 का चुका है उक्त भूमि मेरे हदबंदी दान से बची है।

27/10/16

27/10/16

स्वीकृत

स्वेदक का हस्ताक्षर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

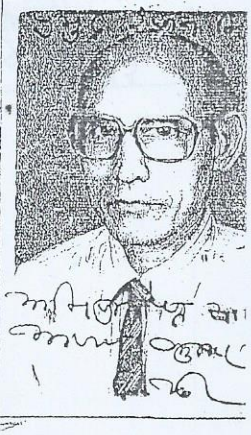
कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(14)

10000रु Rs.10000
दस
हजार रुपये
10000 रु.
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
10000रु Rs.10000
RUPEES
TEN THOUSAND
Rs.10000

04AA 427150



1- पेशकर्ता का नाम एवं पूरा पता :-

श्री प्रभुदेव रंजन मिश्र पिता का नाम स्वर्गीय नन्द किशोर मिश्र, निवास स्थान- मुस्तफापुर, थाना एवं न्यायालय- अगौत, जिला- पटना । भारतीय नागरिक ।





2- लेखधारी का नाम एवं पूरा पता :-

श्री जय प्रकाश पिता का नाम श्री रामेश्वर प्रसाद, निवास स्थान- बैन्ट रोड गाड़ी खाना, थाना एवं पत्रालय- खगौल, जिला- पटना ।भारतीय नागरिक ।

3- लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद बिक्य-पत्र यानि बेचना बयला कलामी ।

4- मूल्यांकन :-

अंकै 2,00,000/- रूपया (दो लाख रूपया) मात्र ।

5- सम्पत्ति का विवरण :-

मवाजी 10 डी0 (दस डीसमील) एराजी परती आवासिय कायमी नगदी बाकै मौजा- मुस्तफापुर, परगना- फुलवारी, थाना- खगौल, सर्वे थाना एवं

मैसर्स देवान सिंह एण्ड कम्पनी
मुस्तफापुर
खगौल
पटना
19.08.2002



सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना ।

जिसका थाना संख्या- 36 (छत्तीस), तौजी संख्या- 5276 (पांच हजार दो सौ छिहत्तर), खाता संख्या- 234 (दो सौ चौंतीस), सर्वे ~~खसरा~~ संख्या- 254 (दो सौ चौवन), मिश्रमुसला 17 डीसमील में से पूरब तरफ ।

जिसकी वार्षिक लगान मो0 0.80 पैसे अलावे शेष ।

जमींदारी बिहार सरकार द्वारा अंचल अधिकारी दानापुर ।

जमाबन्दी नम्बर- 1377 वर्ष 2003-2004 ई0 ।

" चौ ह दी "

उत्तर : सर्वे आहर (रास्ता) ।

दक्षिण : श्री दसई चौधरी ।

पूरब : रौदी यादव ।

पश्चिम: पार्ट प्लॉट जिसका आज खरीदार श्रीमती रामा देवी ।

सही (अस्पष्ट)
14-08-2003

जानकार
19.8.2003
मुख्तयारपुर
आदतन - Tajmal

(17)



- 4 -

यह के उपर्युक्त भूमि पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर है जिसकी बिक्री हेतू लेखयकारनी ने लेखयधारी के पक्ष में शहरी भूमि हदबन्दी कार्यालय पटना में यहां दिनांक 29-04-03 ई0 को सूचना सम्बित किया था जिसका क्रमांक संख्या- 3989/ 2003 ई0 है जिसका साठ दिनों की अवधि समाप्त हो गया है।

"संदर्भ"

हकियत यह है कि इस बिक्रय-पत्र के खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति लेखयकारी के दादा पंडित राम भवन मिश्र



रजिस्ट्री तारीख 03-01-1936 ई० को नबिस्ते मो० सीता कुँअर जौजे बाबु किशोरी शरण सिंह, साकिन- कोथवां, थाना- दानापुर, जिला- पटना से और एराजी के साथ खरीद किया था जिसका बुक संख्या- I, जिल्द संख्या- 10, पृष्ठ संख्या-11 से 15 तक, निबंधन संख्या- 35 वर्ष 1936 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है । वो तारीख खरीदारी के दिन से लेख्यकारी के दादा पंडित राम भवन मिश्र अपना जीवन काल तक काबिज-दखिल रहकर अपना पूरा परिवार एवं सम्पत्ति को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । स्वर्गीय राम भवन मिश्र के समस्त सम्पत्ति पोते श्री प्रियरंजन मिश्र वो प्रमुद रंजन मिश्र वो श्री प्रभास रंजन मिश्र के प्रभात रँजन मिश्र के नाम हो गए एवम् इनके पिता श्री नन्द किशोर



04AA 427583

थे वो नन्द किशोर मिश्र अपना चार पुत्रगण क्रमशः लेख्यकारी वो प्रिय रंजन मिश्र वो प्रभास रंजन मिश्र वो प्रभात रंजन मिश्र एवं सम्पत्ति को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । बाद स्वर्गवास नन्द किशोर मिश्र के लेख्यकारी अपना भ्रातागण से वजरिय आपसी बानगी बंटवारा लिखित ~~तारीख 00-04-1227~~ ई० को बंटकर खाना नं०- 5 के एराजी एवं ~~मौरूसी~~ एराजी के साथ लेख्यकारी को खास हाल वो हिस्सा में प्राप्त हुआ है । वो तिथि बंटवारा के दिन से लेकर आज तक खाना संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर ~~लेख्यकारी स्वतंत्र रूप से वैधसिद्ध सम्पत्ति~~ के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते हैं वो हैं । और लेख्यकारी का नाम वसियत अंचल कार्यालय के जमाबन्दी रैयत संख्या- 1377 पर दर्ज चला आता है । इस प्रकार उपरोक्त खाना संख्या- 5 में वर्णित

19-8-2003



लेख्यकारी का दखल-कब्जा का प्रमाण पूर्ण रूप से प्रमाणित है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पत्ति के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक छाने नं0- 5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते हैं तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबन्ध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी ने पैतृक सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ छाने नम्बर- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो0 2,00,000/- रूपया (दो लाख रूपया) मात्र में लेख्यधारी छाने



नं0- 2 के बेपा वो बयला क्लामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी ने खरीदार पक्ष से इस परिलेख पर अपना हस्ताक्षर बनाने के पूर्व ही नगद वसूल वो बेपाक पा चुके हैं ।

आने नं0- 5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल-कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वे सब कुल हक वो दखल-कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार आने नं0- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर ~~पैतृक सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार~~ वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकूर को जिस प्रकार से



लेख्यकारी के वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय-पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें । उस वक्त लेख्यकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत ब्यान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर जरे सम्मर्न मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा वमोजावले वशिला बिक्रय-पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिक्रेता) ने लेख्यधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण-भार

19-08-2021



आज तक लेखयकारी ने खाने नं0- 5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखे हैं । वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण-भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0- 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेखयकारी या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वकदर बेदखली या जो-जो ऋण-भार उनको अदास करना पड़े उसे सय सूद फिसद मो0 1/- रूपया (एक रूपया) माह-



वारी के हिसाब से लेखकारी या उनके उत्तराधिकारीगण के अन्याऩ्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवेगें । उस वक्त लेखकारी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह पत्रिका निर्विवाद विक्रय-पत्र यानि बेचाला वचला क्लामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज वो द्वितीय प्रति दोनो बारह-बारह पृष्ठों में तैयार किया गया है जो हू-बहू एक दूसरे का समान है ।

वो प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी एवं लेखधारी ने बाये हाथ के पांचो अंगुलियों का निशान भी लगाये

श्री [illegible] 19-8-91



बनाया है । समाप्त ।

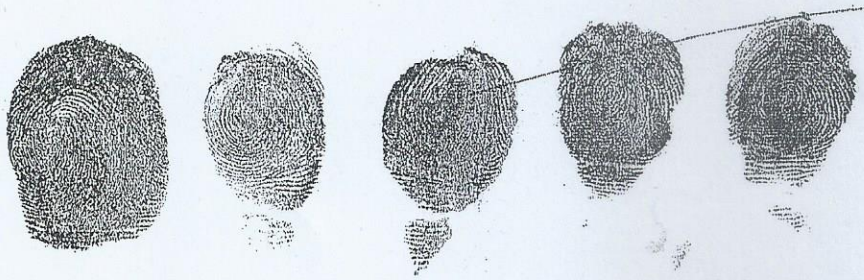
दिनांक :- 13-8-2003

जय किशन



जय प्रकाश

14-8-03

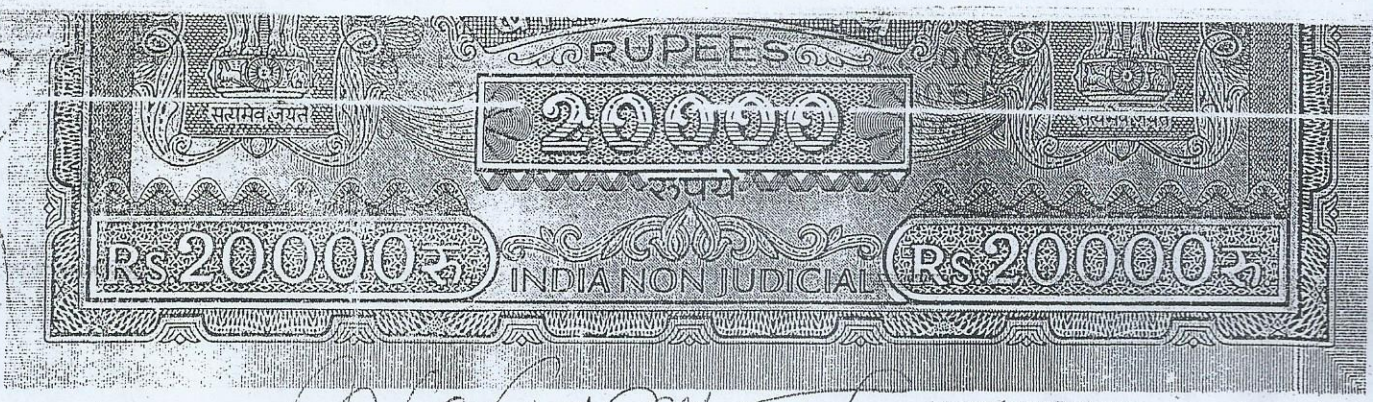


टंकक :-

Santosh 18 Gupta
(संतोष कुमार गुप्ता)
सिविल कोर्ट, दानापुर,
(पटना) ।

प्रास्थकर्ता :-

अभय कुमार उपा
स्वामि - नाविलय
पाना - दानापुर



02CC 928119



1.- लेखकारी का नाम एवं पूरा पता :-

श्री प्रमुद रंजन मिश्र पिता का नाम स्वर्गीय नन्द किशोर मिश्र, निवास स्थान- मुस्तफापुर, थाना एवं पत्रालय- खगौल, जिला- पटना । भारतीय नागरिक ।





2- लेखधारिणी का नाम एवं पूरा पता :-

श्रीमती रामा देवी पति का नाम श्री रामेश्वर प्रसाद, निवास स्थान- कैन्ट रोड मु0 गाड़ी खाना, थाना एवं पत्रालय- खगौल, जिला- पटना । भारतीय नागरिक ।

3- लेख्य प्रकार :-

निर्विवाद बिक्रय-पत्र यानि बेचा वयला कलामी ।

4- मूल्यांकन :-

अंके 1,40,000/- रुपया (एक लाख चालीस हजार रुपया) मात्र ।

5- सम्पत्ति का विवरण :-

मवाजी 7 डी0 (सात डीसमील) एराजी परती आवासिय कायमी नगदी वाके मौजा- मुस्तफापुर, परगना- फुलवारी, थाना- खगौल, सर्वे थाना एंव सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना । जिसका थाना सं0-36

सही प्रस्तुतकर्ता
14-08-2003

पूर्वेन्दु रंजन मिश्र
मुस्तफापुर
खगौल
पटना

गवाह
1. सुनील कुमार
2. दीनानाथ
13.08.2003



(छत्तीस), तौजी सं0- 5276 (पांच हजार दो सौ छिहत्तर), खाता सं0- ~~234 (दो सौ चौंतीस), सर्वे खसरा सं0- 264~~ (दो सौ चौसठ) मिनगुमला 17 डीसमील में से पश्चिम तरफ ।

जिसकी वार्षिक लगान सी0 0·56 पैसा अलावे शेष ।

जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचल अधिकारी दानापुर ।

जमाबन्दी नम्बर- 1377 वर्ष 2003-2004 ई0 ।

"चौहद्दी"

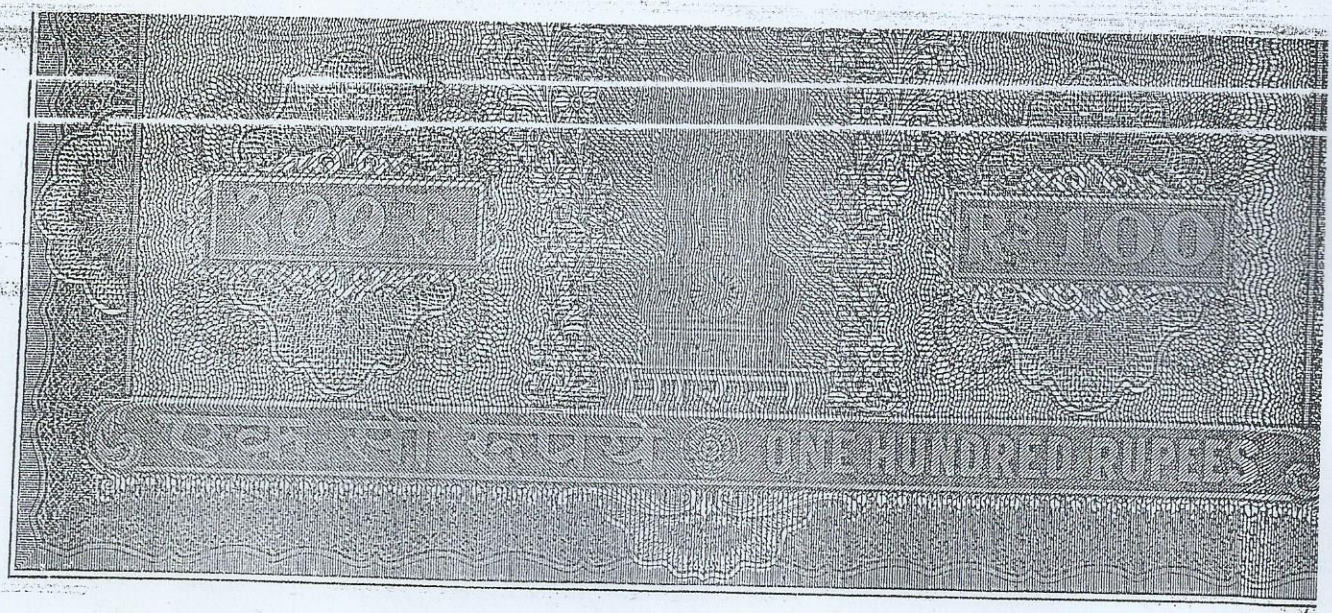
उत्तर : सर्वे आहर (रास्ता) ।

दक्षिण : दसाई चौधरी ।

पूरब : पार्ट प्लौट जिसका आज खरीदार श्री जय प्रकाश ।

पश्चिम: सर्वे आहर छन्ता वादहु सिवाना आदमपुर ।

यह के उपर्युक्त भूमि पटना विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर है जिसकी बिक्री हेतु ~~लेखकारी~~ ने लेखधारिणी के पक्ष में



शहरी भूमि हदबन्दी कार्यालय पटना के यहां दिनांक 29-04-03 ई0 को सूचना दाखिल किया था जिसका क्रमांक संख्या- 3989/ 2003 ई0 है जिसका साठ दिनों की अवधि समाप्त हो गया है ।

" सं ग्रभ "

हकियत यह है कि इस बिक्रय-पत्र के खाना संख्या-5 में वर्णित सम्पत्ति लेखयकारी के दादा पंडित राम भवन मिश्र वजरिय वशीका बय दस्तखत तारीख 16-12-1935 ई0 वो रजिस्ट्री तारीख 03-01-1936 ई0 को नविस्ते मो0 सीता कुंअर जौजे बाबु किशोरी शरण सिंह, साकिन - कोथवां, थाना - दानापूर; जिला- पटना से और एराजी के साथ खरीद किया था जिसका बुक संख्या- 1, जिल्द संख्या- 10, पृष्ठ संख्या-11 से 15 तक, निबंधन संख्या- 35 वर्ष 1936 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है । वो तारीख खरीदारी के दिन से लेखयकारी के दादा पंडित राम भवन मिश्र अपना जीवन काल तक काबि-

देखित रहकर अपना पूरा परिवार एवं सम्पत्ति को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । स्वर्गीय राम भवन मिश्र के समस्त सम्पत्ति पोते श्री प्रिय रंजन मिश्र वो श्री प्रफुल्ल रंजन मिश्र वो श्री प्रभास रंजन मिश्र वो प्रभात रंजन मिश्र के नाम हो गए एवं इनके पिता श्री नन्द किशोर मिश्र समस्त सम्पत्ति की देख-रेख की जिम्मेदारी में थे वो नन्द किशोर मिश्र अपना चार पुत्रगण क्रमशः लेख्यकारी वो प्रिय रंजन मिश्र वो प्रभास रंजन मिश्र वो प्रभात रंजन मिश्र एवं सम्पत्ति को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । बाद स्वर्गवास नन्द किशोर मिश्र के लेख्यकारी अपना भ्रातागण से बजरिये आपसी खानगी बंटवारा लिखित तारीख 08-04-1997 ई० को बंटकर खाना नम्बर- 5 के एराजी एवं और एराजी के साथ लेख्यकारी को खास दाज वो हिस्सा में प्राप्त हुआ है । वो तिथि बंटवारा के दिन से लेकर आज तक खाना संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यकारी स्वतंत्र रूप से बैदखियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पत्ति भाग को अपने उपयोग वो उपभोग में लाते हैं वो हैं । और लेख्यकारी का नाम वसियस्ता अंचल कार्यालय के जमाबन्दी रैयत संख्या- 1377 पर दर्ज चला आरहा है । इस प्रकार उपर्युक्त खाना संख्या- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यकारी का दखल-कब्जा का प्रमाण पूर्ण रूप से प्रमाणित है ।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पत्ति के लिये रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं0- 5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते

हैं तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबन्ध करना लेख्यकारी के वास्ते वर्त्तमान आय से प्रायः मुश्किल है ।

अतएव लेख्यकारी ने वैहसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नम्बर- 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो० 1,40,000/- रूपया (एक लाख चालीस हजार रूपया) मात्र में लेख्यधारिणी खाने नं०- 2 के बेचा वो बयला बलामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारी से खरीदार पक्ष से इस बहिका पर अपना हस्ताक्षर बनाने के पूर्व ही नगद वसूल वो बेबाक पा चुके हैं ।

खाने नं०- 5 के वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल-कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वे सब कुल हक वो दखल-कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा ! खरीदार खाने नं०- 5 में वर्णित सम्पत्ति पर वैहसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकूर को जिस प्रकार से

चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपना बजाय लेख्यकारी के वसीयतिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय-पत्र के माध्यम से दाखिल करा लेवेगें । उस वक्त लेख्यकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत ब्यान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकूर जरे सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा वमोकाबले वशिका बिक्रय-पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0- 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण-भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक-साफ है वो आज तक लेख्यकारी ने खाने नं0- 5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखे हैं । वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण-भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके

उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति वकदर बेक्खली या जो-जो ऋण-भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिसद सो० १/- रूपया (एक रूपया) माहवारी के हिसाब से बेच्यकारी या उनके उत्तराधिकारीगण के अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेबाक कर लेवेगें । उस वक्त बेच्यकारी को किसी प्रकार का उजूर वो इतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह बयेना निर्विवादि विक्रय-पत्र खानि केवाला बयला कलमी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज वो द्वितीय प्रति दोनो नौ-नौ पृष्ठों में तैयार किया गया है जो हु-बहू एक दुसरे का समान है ।

वो प्रमाणित किया जाता है कि बेच्यकारी एवं

सामने बनाया है । समाप्त ।

दिनांक :- 19/8/2003



रमा देवी



टंकक :-
Santosh Gupta
(संतोष कुमार गुप्ता)
सिविल कोर्ट, दानापुर,
(पटना) ।

प्रस्थापक :-

(35)

L2R8W8

प्रारूप संख्या - 6
(नियम 8 देखिये)

बिहार सरकार

(योजना एवं विकास विभाग)

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण पत्र

सत्यमेव जयते

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा - 12 तथा बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया |

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है, जो कि (स्थानीय क्षेत्र) खगौल नगर परिषद तहसील खगौल जिला पटना राज्य बिहार के रजिस्टर में उल्लिखित है |

नाम	:	रामा देवी
लिंग	:	महिला
मृत्यु की तिथि	:	25-December-2011
मृत्यु का स्थान	:	घर (रामपुर गाड़ीखाना, खगौल)
पिता / पति का नाम	:	श्री रामेश्वर प्रसाद
माता का नाम	:	
स्थायी पता	:	रामपुर गाड़ीखाना, खगौल , जिला - पटना , राज्य - बिहार भारत
मृत्यु के समय मृतक का पता	:	रामपुर गाड़ीखाना, खगौल , जिला - पटना , राज्य - बिहार
रजिस्ट्रेशन संख्या	:	000299/2/7096/2011
रजिस्ट्रेशन की तिथि	:	23-December-2011

जारी करने की तिथि : 28-December-2011

प्राधिकारी का हस्ताक्षर

REGISTRAR
BIRTH & DEATH
KHAGAUL MUNICIPALITY
PATNA

15142/0

"प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें"

(36)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख.....तक

आदेश पत्रक

जिला :- पटना सन्

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० 2325/सन् 2016-17

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

28/7/16

श्री रामेश्वर प्रसाद.....

वल्द स्व० रामधनी साव ग्राम गाधिखाना पो०.....

थाना रुपौलू जिला पटना केवाला नं०..... दिनांक.....

के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान
मुस्तफापुर	36	284	264	0.07	5.00

CS 1674 27/10/2016

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 27/8/16....को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

27/8/16

नोटिश का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदक के नाम दाखिल खारीज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारीज की ...ची.सी.ई...दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy

अंचल अधिकारी
दानापुर

GOVT. OF BIHAR Registration, Excise & Prohibition Dept. PATNA SCORE, PATNA COURT FEE Authorization No. 2917 INDIA 000000 BIHAR JUDICIAL 21.10.2016 3831 2516095

(37)

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु० केश नम्बर - 2325 साल - 2016-17 हल्का नम्बर 7 अंचल - दानापुर

ग्राम - मुस्तफापुर राजस्व थाना नम्बर -36 जिला - पटना

मु० में जमीन रकबा - प्राप्त का जरिया - आवेदिनी

जरशमन - केबाला - तिथि - नामांतरण

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 1393
श्रीमती रामा देवी पति - श्री रामेश्वर प्रसाद सा० - गाड़ीखाना, खगौल	234	264	0.07	5.00	दा.ले. मा आवेदन पत्र अंकित उपरोक्त मामले में श्रीमती रामा देवी के नाम से जमाबंदी होने हेतु दाखिल खारिज की सूचना दी जाती है। उक्त जमाबंदी संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो अपनी मा नामांकन आपके नाम से करवाना चाहते हैं। जमाबंदी संबंध में दो पुत्र हैं दोनो द्वारा अपना पत्र लेने मा० 6/M० 26.8.16 को गोद ले लिया है मा नामांकन आवेदन के नाम से सही में अंकित नहीं है।
बचा हुआ रकबा					

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
रामेश्वर प्रसाद पिता - स्व० रामधनी साव सा० - गाड़ीखाना खगौल पटना	234	264	0.07	5.00

वसूली के महिना आवश्यक में कुछनाम्बं अंचल मिलो में अपील न होने नामांकन के उल्लेख में आगोरा मोहल्ला मौजा का हवाला

Certified to be a true Copy
Authorised under sec. 76 Act of 1872
23/11/16

सूचना उपलब्ध आपत्ति नहीं प्राप्त होने से दिए गए समय सीमा के बाद नामांकन

(38)

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

वसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

V W.P फरद मालकी / फरद रैयती।
रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी
वो सकुनत। नम्बर।

बि०स०मु०, पटना।

X
108 3४८२

कानपुर	मुसल्लहपुर उर्फ	रामेश्वर प्रसाद	0249215

अराजी नगदी

अराजी भावली पिता तफसील हिसाब लगान भावली।

0.07 डीह	स्व० रामधनी साव सा० गाड़ीखाना खगौल, पटना

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

मांग बाबत 2016-2017	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल— (नकदी)	५.००					५.००
गुजारी (भावली)	५.००					५.००
सेस ...	५.००					५.००
*सुद ...	५.००					५.००
मुतफरकात ...	५.००					५.००
मीजान	२५.००					२५.००

खाता 238
खोट 26४

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत 2016-2017	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— (नकदी)					५.००	
गुजारी (भावली)					५.००	
सेस ...					५.००	
*सुद ...					५.००	
मुतफरकात ...					५.००	
मीजान अदायकारी					२५.००	=२५=००

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — पच्चीस रुपया मात्र

(2) नाम देहिन्दा — स्वयं

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु (राजस्व) ८-२०११

का०१दो०2224/2016-17

29.10.16